न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर जिला जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–श्री नेमा राम आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 135 / 2021
जीसीएमएस संख्या–2021 / 155

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1. कैलाश पुत्र दुर्गाराम 2. गंगाराम पुत्र गोपाराम 3. चम्पादेवी पुत्री दुर्गाराम 4. जेठाराम पुत्र दुर्गाराम 5. दाखुदेवी पत्नि दुर्गाराम 6. धर्मवीर पुत्र दुर्गाराम 7. धापूदेवी पुत्री दुर्गाराम 8. संतोष पुत्री दुर्गाराम 9. हीरादेवी पुत्री दुर्गाराम सभी जातियान जाट सभी निवासीयान चिरढाणी तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर		1. मांगीलाल पुत्र मानाराम जाति मेघवाल निवासी चिरढाणी तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर 2. भूमिधारी जरिये तहसीलदार पीपाड़ शहर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थित अधिवक्ता — दर्ज दिनांक :–16.03.2021

1. श्री बक्तावरसिंह जाखड़ अप्रार्थीगण की ओर से
2. तहसीलदार पीपाड़ शहर अप्रार्थी संख्या 02

निर्णय

दिनांक:– 27/04/2026

प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया है जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम चिरडाणी तहसील पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा मे प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जासुद जमीन खसरा नम्बर 768/8 रकबा 3.2198 हैक्टयर किस्म बारानी प्रथम आयी हुई है जो की वादग्रस्त है, नकल जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 संलग्न है। प्रार्थीगण की वादग्रस्त आराजी के चिपते दक्षिणी तरफ खसरा नम्बर 803/1 रकबा 0.8333 हेक्टयर किस्म बारानी ए अप्रार्थीगण संख्या एक की खातेदारी कब्जासूद जमीन आयी हुई है तथा दोनो खसरो के मध्य पुरानी सेटलमेन्ट समय से माठ कायम है। वादीगण की वादग्रस्त आराजी राजस्व रेकार्ड मे तरमीमसुदा है। वादीगण की वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 768/8 की दक्षिणी माठ को प्रतिवादी संख्या एक खुर्द बुर्द करता आ रहा है तथा प्रतिवादी संख्या एक ने प्रार्थीगण की दक्षिणी माठ को खुर्द बुर्द कर अपनी जमीन में मिला लिया तथा प्रार्थीगण की वादग्रस्त आराजी के अन्दर कब्जा करने की कुचेष्टा करता रहा है जिसको लेकर प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या एक के मध्य कई बार कहासुनी हो गयी तथा अप्रार्थी संख्या एक के बार बार बीच की माठ को खुर्द बुर्द करने से झगड़ा फिसाद होने की आंशका रहती है इसलिए प्रार्थीगण ने अपनी अपनी जमीन का नाप चौक करवाने हेतु अप्रार्थी संख्या एक को कहा लेकिन प्रार्थी संख्या एक अपनी अपनी जमीन का नाप चौक करने को तैयार नहीं है इसलिए प्रार्थीगण अपने खातेदारी अधिकारों की सुरक्षा के लिए अपनी वादग्रस्त आराजी का नाप चौक करवाकर सीमांकन करवाकर पत्थरगढी करवाना चाहता है। दिनांक 01/02/2021 को अप्रार्थी संख्या एक प्रार्थीगण की

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

वादग्रस्त आराजी पर आये तथा दक्षिणी धोरा खुर्द बुर्द करने लग गया इस पर प्रार्थीगण ने समझाईस की कि प्रार्थीगण की वादग्रस्त आराजी की दक्षिणी माठ अप्रार्थी ने खुर्द बुर्द कर अपनी जमीन में मिला ली तथा अब प्रार्थीगण की जमीन मे दक्षिणी माठ/पाली खुर्द बुर्द क्यो कर रहे हो इस पर अप्रार्थी संख्या एक ने प्रार्थीगण को ऐलानिया रूप से धमकी दी कि प्रार्थी प्रार्थीगण की वादग्रस्त आराजी खुर्द बुर्द कर कब्जा करके रहेगा जबकि उन्हें ऐसा करने का कोई विधिक हक अधिकार नही है जिसके लिए प्रार्थीगण को उक्त प्रार्थना–पत्र पेश करना पड रहा है। अतः प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र के पेश कर न्यायालय हाजा से ग्राम चिरढाणी की राजस्व सीमा में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 768/8 रकबा 3.2198 हैक्टयर भूमि का नाप चौक करवाया जाकर सीमांकन किया जाकर पत्थरगड्डी करवायी जाने का आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया गया।

हमने प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को समन जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से स्वंय/प्रतिनिधि द्वारा जवाब पेश नही किये जाने पर उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 02 तहसीलदार पीपाड़ शहर न्यायालय में प्रस्तुत जवाब अनुसार राजस्व ग्राम चिरढ़ाणी के खसरा संख्या 768/8 का सीमांकन एवं पत्थरगढ़ी आदेश किया जाना है तो कोई आपत्ति नहीं है।

हमने विद्वान पक्षकारान् की बहस सुनी गई, प्रार्थीगण अधिवक्ता ने बहस में निवेदन करते हुए कहा कि ग्राम चिरढ़ाणी के खसरा नम्बर 768/8 भूमि का सीमांकन कर पत्थरगढ़ी के आदेश प्रार्थीगण के पक्ष में किया जाना न्याय संगत है एवं प्रार्थीगण वकील ने यह भी बताया कि वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण के कब्जासुद भूमि है जिस पर प्रार्थीगण काबिज होकर काश्त करता आ रहा है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो के आधार पर यह प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी का खातेदार काश्तकार है इसलिए वादग्रस्त आराजी का नापचौक सीमांकन करवाकर पत्थरगढ़ी करवाई जाना न्यायसंगत है। अत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू राजस्व अधिनियम के तहत स्वीकार योग्य होने से स्वीकार कर तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम ग्राम चिरढ़ाणी के खसरा नम्बर 768/8 भूमि का टीम गठित कर नापचोक व सीमांकन कर रूबरू पक्षकारान् के सीमा कायम करते हुए पैमाइश करवाकर पत्थरगढी करावे। इस बाबत् नियमानुसार शुल्क प्रार्थीगण राजकीय कोष में जमा करवायेगें।

(नेमा राम)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

निर्णय आज खुले न्यायालय लिखवाया जाकर दिनांक 27/04/2026 को सुनाया गया।

(नेमा राम)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर